उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष : 0522–262173, 2274250
फैक्स : 0522–2623578, 2615526

पत्र सं0–37 आर0डब्ल्यू0ए0/19–37 रो0/2014 दिनाँक 15 जून, 2019

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
2– समस्त सेवा प्रबन्धक,
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को सुरक्षा एवं सावधानी हेतु दिशा–निर्देश की पट्टिका के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिवहन निगम की बसों से दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सभी प्रकार की बसों में यात्रियों की सुरक्षा हेतु चालक के पीछे सुरक्षा के नियम एवं सावधानी हेतु दिशा–निर्देश पट्टिका लगायी जाये तथा पट्टिका में अंकित सुरक्षा नियमों को परिचालक द्वारा बस संचालन से पूर्व यात्रियों के संज्ञान में लाया जाये।

इस सम्बन्ध में निर्देश पट्टिका के बिन्दु की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने-अपने क्षेत्रों से संचालित सभी परिवहन निगम की बसों में चालक सीट के पीछे पट्टिका को लगाया जाये तथा परिचालक द्वारा इस सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये और कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत भी करायें।

संलग्नक :– यथोक्त।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सहायक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6– समस्त प्रधान प्रबन्धक/नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com

परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को सुरक्षा एवं सावधानी हेतु दिशा–निर्देश की पट्टिका :–

- बस में बैठे व्यक्ति/अन्य सदस्य अपने शरीर का कोई भी अंग खिड़की के बाहर नहीं निकालें।
- अपने साथ किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जायें।
- बस में आग लगने की स्थिति में अग्नि शमन यंत्र का प्रयोग करें तथा खिड़कियों के कॉच तोड़ने के लिए उपलब्ध हथौड़े का प्रयोग करें।
- दुर्घटना के समय बस में लगे हुए आपातकालीन द्वार का प्रयोग करें।
- पुलिस सहायता हेतु 100 नम्बर, एम्बुलेन्स हेतु 108 नम्बर तथा हेल्पलाइन नं0–1800–180–2877 तथा व्हॉट्स ऐप नं0–9415049606 पर घटित दुर्घटना की एवं यदि चालक बस चलाते समय मोबाइल पर बात करता है तो उसकी सूचना/फोटो भी व्हॉट्स ऐप पर पोस्ट करें।
- अन्जान व्यक्ति के आग्रह करने पर कोई भी वस्तु/खाने–पीने की चीज का उपभोग न करें।
- यात्रा के दौरान यात्री/चालक/परिचालक/अन्य व्यक्ति मादक पदार्थ एवं धूम्रपान का प्रयोग न करें।
- बस को तेजगति से चलाने के लिए चालक पर कोई दबाव न बनाये।
- बस के निर्धारित स्टापेज पर रूकने के पश्चात् ही उतरे/चढ़े।
- पिंक बस सेवाओं में महिला अप्रिय घटना/सहायता हेतु बस में उपलब्ध ऑटोमैटिक पैनिक बटन के द्वारा हेल्पलाइन नं0–1090 एवं यू0पी0 पुलिस नम्बर–100 डायल कर सहायता प्राप्त कर सकती है।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com